ई-मेल द्वारा

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक,
अमृत मिशन निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

अपर निदेशक
क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,
लखनऊ।

पत्रांक-एसएमएमयू/2028/519 ft /2018 दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

विषयः-उ0प्र0 कैबिनेट द्वारा अनुमोदित "डबल एन्ट्री एकाउंटिग सिस्टम" की बुकलेट का मुद्रण करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 कैबिनेट द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2018 को "डबल एण्ट्री एकाउटिंग सिस्टम" को प्रदेश के सभी नगर निकायों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप को विदित है कि यह अमृत सुधारों के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सुधार है, अतः यह उपयुक्त पाया गया है कि इस मेनुअल की पर्याप्त प्रतियां करवाकर इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा नगर निकायों को प्रेषित की जा सके।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे यह निवेदन किया जाता है कि प्रश्नगत अभिलेख की एक हजार उत्तम गुणवत्ता की प्रतियां छपवाकर सभी निकायों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं इससे संबंधित व्यय निदेशालय द्वारा आपको दी गई धनराशि से करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जी0 एस0 प्रियदर्शी)
राज्य मिशन निदेशक (अमृत)

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन को इस अनुरोध से प्रेषित कि "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पॉलिसी" की भी पर्याप्त संख्या में प्रिंटिंग कराने हेतु विचार करने का कष्ट करें।

16

(जी0 एस0 प्रियदर्शी)
राज्य मिशन निदेशक (अमृत)